

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-6) विभाग

सं.क्र.6(39)राज-6/85पार्ट / 2


जयपुर दिनांक:- 7-2-11

संगस्त संभागीय, आयुक्त
राजस्थान
संगस्त जिला कलेक्टर
राजस्थान

परिपत्र


राजस्थान भू-राजस्व (तालाब तले भूमियाँ कृषि हेतु आवंटन) नियम, 1961 के अन्तर्गत तालाब पेटा भूमि का गैर खातेदारी अधिकार पर अस्थाई रूप से आवंटन किये जाने का प्रावधान है। राज्य में व्याप्त जल संकट के मध्यनजर विभागीय संगसख्यक परिपत्र दिनांक 31.08.2010 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि राजस्थान भू-राजस्व (तालाब तले भूमियाँ कृषि हेतु आवंटन) नियम, 1961 के अन्तर्गत पेटा काश्त हेतु भूमि का आवंटन नहीं किया जावे।

उक्त परिपत्र के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि नदियों के पेटे में स्थित भूमियों पर कृषको को केवल फसल बोने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। क्योंकि इसमें किसी भी तालाब तले से जल की निकासी की संभावना नहीं है।


उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
6. संगस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव